

18/12/25

पत्रावली पेश दुनी वकील याथ
उप.) वकील याथ + मुनाबिक
नदमीलडाए जवाब के आधार पर
रुमर प्रो.पत्र स्वीकार किये जाने
का निकेडक किया। जिस पर पत्रावली
का अग्रलोकन / मन्त किया जाकर
याथ का प्रो.पत्र स्वीकार किया
जाता है। निरीय प्रथक से रकंठ
किया जाकर शामिल पत्रावली
होए पत्रावली केमल शुभर होकर
दर नमक से रुम हो आइक
रुमर यामील से मुनाबिक राक

उपखण्ड अधिकारी
संभरलेक